भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 876
(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/**21** अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

मुद्रास्फीति में वृद्धि

876. श्री एम.बदरुद्दीन अजमलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है और जिसके कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किन कारणों की पहचान की गई है;

(ग) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में मुद्रास्फीति की दर क्या है;

(घ) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए है या किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार की आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत देने की कोई ठोस योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर का विवरण नीचे दिया गया है

सीपीआई-सी पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति (आधार 2012) (वर्ष-दर-वर्ष) (%)

वर्ष माह	खुदरा मुद्रास्फीति दर (%)
2017-18	3.59
2018-19	3.41
2019-20	4.77
2020-21	6.16
2021-22	5.51
2022-23	
अप्रैल	7.79
मई	7.04
जून	7.01
जुलाई	6.71
अगस्ता	7.00
सितम्बर	7.41
अक्टूबर (अनंतिम)	6.77

स्रोतः एनएसओ, एमओएसपीआई

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी और महामारी से उत्पन्न आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण भारत सहित दुनिया भर में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। रूस-यूक्रेन

संघर्ष ने कच्चे तेल, गैस, धातु और खाद्य तेलों (सूरजमुखी) में मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, गर्मी की लहरों शुरुआत और मानसून के मौसम के बाद की असमान वर्षा के कारण फसल को नुकसान हुआ है और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। हाल ही में, अक्टूबर 2022 में महंगाई दर घटकर 6.77 फीसदी पर आ गई है।

(घ) और (ङ) : सरकार द्वारा प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय-समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ न उठाना पड़े, आपूर्ति पक्ष के कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, 21 मई, 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी शामिल है, एचएस कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर रोक, चावल पर निर्यात शुल्क लगाने, आयात शुल्क में कमी और दालों पर उपकर, टैरिफ का युक्तिकरण और खाद्य तेलों पर स्टॉक सीमा लगाने और तिलहन, प्याज और दालों के लिए बफर स्टॉक का रखरखाव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में सोया मील को आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल करना और सोया मील पर स्टॉक सीमा लागू करना शामिल है।

इसके अलावा, विशेष रूप से आम आदमी की ओर निर्देशित उपायों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है, जो देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक खाद्य-सुरक्षा कार्यक्रम है। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से सरकार की खाद्य सुरक्षा, वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के साथ मिलकर गरीबों को सहायता प्रदान करती है।

****